राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– श्योरानी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 139 सन 2018

अनवान :–

1. अजयकुमार पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. केसराराम पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. सुनिता पत्नी अजयकुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्री केसराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. सन्तोष उर्फ कौशल्या पुत्री केसराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 04.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 137/128 की कुल 6.5400हैक , टोपरिया बारानी के खाता संख्या 321/288 की कुल 13.0290हैक में से 1/2 हिस्सा , एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/66 की कुल 11.6380हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के दादा निकुराम के नाम से दर्ज थी।

वादी के दादा निकुराम एवं उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है वादी के दादा निकुराम के फोत होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों बनवारीलाल , केसराराम, पर औद हुई एव प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में टोपरिया बारानी के खाता संख्या 137/128 की कुल 6.5400हैक में 1/2 हिस्सा , टोपरिया बारानी में खाता संख्या 321/288 की कुल 13.0290हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा भूमि आई है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 व वादी की बहिन व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो /पिता के पक्ष में कर दिया है इसलिये वाद भूमि में अब वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के हकदार है एवं अपने हकों के अनुसार बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 6 में दर्ज है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है क्योकि पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा का त्याग अपने भाईयों/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा निकुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पिता के पक्ष में कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 137/128 की कुल 6.5400हैक भूमि में वादी सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 1 रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/66 की कुल 11.6380हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 321/288 की कुल 13. 0290हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–श्योरानी

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–किकराली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. अजयकुमार पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 केसराराम पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. सुनिता पत्नी अजयकुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्री केसराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. सन्तोष उर्फ कौशल्या पुत्री केसराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 139 सन 2018 निर्णय दिनांक–04.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 137/128 की कुल 6.5400हैक्ट भूमि में वादी सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 1 रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/66 की कुल 11.6380हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 321/288 की कुल 13.0290हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–श्योरानी